D

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 305

दुर्ग, दिनांक 21/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 121
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : **1004719968**

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1004719968, स्वीकृत भार 7.27 किलोवाट, के विद्युत बिल में त्रुटि होने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग नहीं किए जाने, मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में औसत खपत के निर्धारण तथा पावर फैक्टर सरचार्ज लगाए जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। साथ ही, कनेक्शन का स्वीकृत भार 5 किलोवाट तक कम किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.27 किलोवाट है।
3. उक्त कनेक्शन में दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 तक स्थापित मीटर डिफेक्टिव रहा।
4. उक्त कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए 356 यूनिट की औसत खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त अवधि के लिए वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड सत्यापन के आधार पर खपत का निर्धारण नहीं किया गया।

आवेदक का यह भी कथन है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.27 किलोवाट से घटाकर 5 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा इसके पश्चात अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में निर्धारित की गई 356 यूनिट औसत खपत को संशोधित किया जाना उचित है?
2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि देय है?
3. क्या आवेदक के अनुरोध पर कनेक्शन का स्वीकृत भार 5 किलोवाट तक कम किया जा सकता है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, बिलिंग डाटा एवं रीडिंगगणना पत्रक का अवलोकन किया गया।

प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में बिलिंग 356 यूनिट औसत मासिक खपत के आधार पर की गई।

यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध पिछले तीन माह की खपत का औसत लगभग 593 यूनिट रहा।

अतः ऐसी स्थिति में मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि की खपत का निर्धारण स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत के आधार पर किए गए औसत से किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

फलतः फोरम का मत है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि के लिए पूर्व में निर्धारित 356 यूनिट औसत खपत का पुनर्गणना/पुनर्निर्धारण किया जाना उचित है। अनावेदकगण स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध पिछले तीन माह की वास्तविक खपत के आधार पर लागू नियमों के अनुसार औसत खपत निर्धारित कर संशोधित बिल तैयार करें।

प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

अभिलेखों से यह तथ्य सामने आया है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

जब उक्त अवधि में मीटर की कार्यप्रणाली डिफेक्टिव होने के कारण वास्तविक विद्युत खपत एवं संबंधित विद्युत पैरामीटरों का विश्वसनीय निर्धारण संभव नहीं था, तब उक्त अवधि के लिए पावर फैक्टर के आधार पर सरचार्ज आरोपित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को बिल से निरस्त किया जाना उचित है।

प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में

आवेदक द्वारा कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.27 किलोवाट से घटाकर 5 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में फोरम का मत है कि स्वीकृत भार में कमी नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने तथा संबंधित परिसर/लोड के आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात की जा सकती है।

अतः आवेदक द्वारा नियमानुसार भार कमी हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है –

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 के लिए की गई 356 यूनिट औसत खपत की बिलिंग की पुनर्गणना करें तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध पिछले तीन माह की वास्तविक औसत खपत को आधार मानते हुए, लागू नियमों के अनुसार संशोधित बिल तैयार करें।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को निरस्त किया जाए तथा उसकी समुचित गणना करते हुए संशोधित बिल तैयार किया जाए।

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार को 7.27 किलोवाट से घटाकर 5 किलोवाट किए जाने के अनुरोध के संबंध में, आवेदक द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण आवश्यक परीक्षण/सत्यापन कर लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग